s.new formet of 12 meter below

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

(12 मीटर से कम ऊँचाई वाले भवनों के मानचित्र स्वीकृत–पत्र)

मैप नं0–20180730182732430 दिनांक :– 17/9 /18

श्रीमती नीलम गुप्ता एंव अंजली गुप्ता
नि0–102, गांधी नगर,
आगरा।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक **01.08.18** के सन्दर्भ में आपके **सशोंधित सब–डिविजन** की मौहल्ला/कालोनी/**खसरा सं0–115, मौजा जगनपुर, आगरा** पर निम्नलिखित शर्त के साथ स्वीकृति प्रदान की जाती है:–

01. संशोधित सब–डिवीजन की इस स्वीकृत सम्बन्धित किसी भी शासकीय विभाग स्थानीय निकाय (जैसे–नगर निगम, ए0डी0ए0) किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार तथा स्वामित्व किसी प्रकार से प्रभावित नहीं होता है।
02. संशोधित सब–डिवीजन मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है, उसी प्रयोग में लाया जायेगा।
03. यदि भविष्य में विकास कार्य हेतु कोई विकास व्यय मांगा जायेगा तो वह बिना आपत्ति के देय होगा।
04. जो भूमि विकास कार्य के उपयुक्त नहीं होगी, उसे शासन अथवा किसी स्थानीय निकाय/प्राधिकरण की विकास करने की कोई जिम्मेदारी नहीं है।
05. बिजली की लाईन से निर्धारित सीमा के अन्दर कोई निर्माण नहीं किया जायेगा।
06. सड़क सर्विस लेन अथवा सरकारी भूमि पर कोई निर्माण सामग्री (बिल्डिंग मैटेरियल) नहीं रखी जायेगी तथा गन्दे पानी की निकासी का पूर्ण प्रबन्ध स्वयं करना होगा।
07. स्वीकृत मानचित्रों का एक सैट स्थल पर रखना होगा ताकि उसकी मौके पर कभी भी जाँच की जा सके तथा निर्माण कार्य स्वीकृत मानचित्रों स्पेसीफिकेशन नियमों के अनुसार ही कराया जायेगा तथा भवन के स्वामित्व की जिम्मेदारी उन्हीं की होगी।
08. यह मानचित्र उ0प्र0नगर योजना एवं विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15 के अन्तर्गत किसी अन्य शर्त के साथ स्वीकार किये जाते हैं तो शर्त भी मान्य होगीं।
09. सड़क पर अथवा बैंक लेन में निर्धारित से अधिक कोई रैम्प नहीं बनाये जायेगें यह कार्य अपनी ही भूमि पर करेगें।
10. सुपरवीजन एवं स्पेसीफिकेशन की नियम/शर्तों का पालन करना होगा।
11. पक्ष द्वारा प्रस्तुत शपथ पत्र दिनांक **06.08.18** का पालन करना होगा।
12. पर्यावरण की दृष्टि से उ0प्र0 राज्य वन नीति अधिनियम के अन्तर्गत नियमानुसार वृक्षारोपण करना अनिवार्य होगा।
13. स्वीकृति संशोधित सब–डिवीजन मानचित्र इसके साथ संलग्न है। विकास कार्य समाप्त होने के एक माह के अंदर निर्धारित प्रारूप में कार्य पूरा होने का प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए आवेदन पत्र देना होगा।
14. 300 वर्गमी0 या उससे अधिक क्षेत्रफल के नवनिर्मित होने वाले समस्त प्रकृति के भवनों में रूफटॉप हार्वेस्टिंग की व्यवस्था करना अनिवार्य है।

15. 12.00 मी0 से अधिक ऊँचे समस्त प्रकृति के भवन तथा समस्त अवस्थापना सुविधाओं से सम्बन्धित भवनों में नियमानुसार भूकम्परोधी व्यवस्था करनी होगी।

16. अस्पताल, नर्सिंग होम, होटल, अतिथि गृह, विश्राम गृह, छात्रावास, महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, प्राविधिक संस्थाएं, प्रशिक्षण केन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, बैंकट हॉल, बारात घर व 500 वर्गमी0 से अधिक क्षेत्रफल के अधिक एकल आवासीय भवनों में सोलर वाटर हीटर संयंत्र की स्थापना करना तथा मानचित्र निर्गत होने से पूर्व अग्निशमन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होगा।

17. निर्माण का स्ट्रक्चरल सेफ्टी, गुणवत्ता, वर्कमैनशिप एवं निर्माण के समय सुरक्षा आदि का समस्त उत्तरदायित्व भू–स्वामी/निर्माणकर्ता का होगा।

18. यह अनुज्ञा किसी भी समय प्रत्यावेदन पर अथवा अन्य प्रकार यह ज्ञात होने पर कि अनुज्ञा सारवान तथ्यों को प्रस्तुत न कर अथवा छलपूर्वक व्यवहार कर प्राप्त की गई है, निरस्त की जा सकती है।

19. किसी भी प्रकार का प्रक्षेप जो चाहें सार्वजनिक मार्ग पर नालियों के ऊपर पत्थर के रूप में हो अथवा आकड़े बालकनी छज्जा कारनिस और किसी प्रकार के प्रक्षेप रूप में हों, चाहे भले ही ऐसे प्रक्षेप में भूल से इन नक्शों में दर्शा दिये गये हों, की अनुज्ञा अमान्य होगी।

20. ऐसे निर्माण कार्यों के लिए नगर महापालिका अधिनियम की धारा–293 के अधीन पृथक् स्वीकृति अनवार्य है। अनुज्ञा के विपरीत यदि किसी प्रकार के परिवर्तन की आवश्यकता हो तो ऐसे परिवर्तन हेतु पूर्व स्वीकृति अनिवार्य होगी।

21. यह अनुज्ञा निर्माणकर्ता अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधि को इस बात की सहमति नहीं देती है कि वे सार्वजनिक मार्ग अथवा सार्वजनिक भूमि में मकान इत्यादि बनवाकर निर्माण कार्य करें अथवा ऐसी जगह निर्माण कार्य करें, जहाँ पर विद्युत तार हों, जब तक इस प्रकार लगे तार उ0प्र0विद्युत परिषद् द्वारा न हटा दिये जायें।

22. पूर्णता प्रमाण पत्र जारी होने के उपरान्त ही रेन वाटर हार्वेस्टिंग के मद में जमा करायी गयी जमानत धनराशि अवमुक्त की जायेगी।

23. भवन निर्माण उत्तर प्रदेश नगर योजना और विकास अधिनियम, 1973 की धारा–15(3) के अन्तर्गत इस प्रतिबंध सहित स्वीकृत किया जाता है कि विकास प्राधिकरण भूमि विषयक भू–स्वामित्व के लिए विधितः बाध्य नहीं है।

24. स्थल पर कराये जाने वाले निर्माण कार्य ऐसे श्रमिकों के माध्यम से कराया जायेगा जिनका पंजीयन श्रमविभाग में अवश्य हों।

25. निर्माण सामग्री अथवा मलबा को मैटल्ड रोड पर स्टोर नहीं किया जायेगा। मैटल्ड रोड से अलग निर्माण सामग्री को एकत्र करने हेतु स्थल का चिन्हांकन करना होगा। मा0राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण द्वारा मूल प्रार्थना पत्र सं0–21/2014 (वर्धमान कौशिक बनाम सरकार) में दिये गये आदेशों का अनुपालन आवेदक को करना होगा।

26. पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी गाईडलाइन–2010 के अनुसार आवेदक/भवन स्वामी निर्माण स्थल, सड़क, गली व कालोनी में स्थित निर्माण सामाग्री को ढक्कर रखवायेगा तथा भवन निर्माण सामग्री का भण्डारण ऐसे स्थान पर किया जाये कि वह उड़कर हवा में न फैले। आवेदक को पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा जारी गाईडलाईन–2010 में निहित समस्त निर्देशों का अक्षशः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा।

27. भवन निर्माण सामग्री के आवागमन हेतु प्रयोग होने वाले ट्रकों व अन्य वाहनों को भी ढक कर लाया व ले जाया जायेगा तथा वाहनों से उतारने के बाद आवश्यक साफ–सफाई की जायेगी।

s.new formet of 12 meter below

28. ऐसे कर्मचारी जो स्थल पर निर्माण कार्य कर रहे है अथवा निर्माण सामग्री को चढ़ाने व उतारने का कार्य करते हैं, विकासकर्ता द्वारा उन्हें मास्क उपलब्ध कराये जायेगें ताकि डस्ट उनके स्वास्थय में न जायें तथा ऐसे कर्मचारियों के चिकित्सा सुविधा व आवश्यक जांच व उपचार की उचित व्यवस्था किया जाना होगा।

29. पत्थर काटने व ग्राइण्डिंग का कार्य करते समय पर्यावरण में डस्ट पार्टिकल न उड़कर जायें, उसकी उचित व्यवस्था आवेदक द्वारा सुनिश्चित करवायी जायेगी तथा निर्माण स्थल पर हवा को रोकने के लिए दीवार आदि भी बनाये जाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। आवश्यकतानुसार वृक्षारोपण किया जायेगा।

30. निर्माण कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व निर्माणधीन स्थल पर मानचित्र का परिमट संख्या, स्वीकृति दिनांक, सम्पत्ति संख्या व नाम स्पष्ट रूप से अंकित करते हुए बोर्ड लगाना अनिवार्य होगा।

31. भू–स्वामित्व सम्बन्धी वाद विवाद होने अथवा उत्पन्न होने की दशा में दी गयी स्वीकृति स्वतः निरस्त मानी जायेगी।

32. आवेदक को समस्त विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्र की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करना होगां

33. स्थल पर भवन उपविधि के अनुसार वृक्षारोपण करना होगा।

34. रेनवाटर हार्वेस्टिंग की मद में जमा धनराशि को स्थल पर रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को स्थापित कर कियाशील करने के उपरान्त ही अवमुक्त किया जा सकेगा।

35. स्थल पर समस्त आन्तरिक विकास कार्य पूर्ण कर सम्पूर्ति प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा। कालौनी को नगर निगम हस्तान्तरित करने तक समस्त आन्तरिक विकास कार्य आवेदक को स्वंय कराने होगें।

36. स्वीकृत सब--डिवीजन मानचित्र की वैधता अवधि पूर्व स्वीकृत मानचित्र में उल्लिखित तिथि तक ही अनुमन्य होगी।

37. आवेदक अपनी लागत पर आन्तरिक विकास कार्य को कार्यन्वित करेगा और आन्तरिक विकास कार्य के प्रति निष्पादन गारण्टी ऐसे विक्रय योग्य भूमि के 20 प्रतिशत भाग को प्राधिकरण के पक्ष में बंधक रखकर प्रस्तुत करेगा।

38. सृजित भूखण्डों पर एक ईकाई के ही भवन मानचित्र स्वीकृत किये जायेगें

<u>संलग्नक</u> : एक सेट स्वीकृत मानचित्र।

नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

<u>प्रतिलिपि</u> :

प्रवर्तन खण्ड, आ0वि0प्रा0, आगरा को स्वीकृत मानचित्र सहित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण
आगरा

सौर्य ऊर्जा अपनाओ
बिजली बचाओ

उ० प्र० नगर योजना और विकास अधिनियम 1973 ... 1973 की धारा/5 ... एव इस विषय के ... के अनुसार की गई है ... (Estuppel) ... Admission ... न उसका कोई ... किसी प्रकार का कानूनी प्रभाव पड़ेगा।
(3) अनुज्ञापत्र के साथ संलग्नक 1 एवं 2 के ... अनुरूप निर्माण कार्य करना होगा।

अवर अभियन्ता (मंवन),
आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा।

नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण

परमिट पर अंकित शर्तो का अनुपालन करना होगा।

मानचित्र की वैद्यता मानचित्र निर्गत होने की दिनांक से ~~पाँच वर्ष~~ तक की होगी।

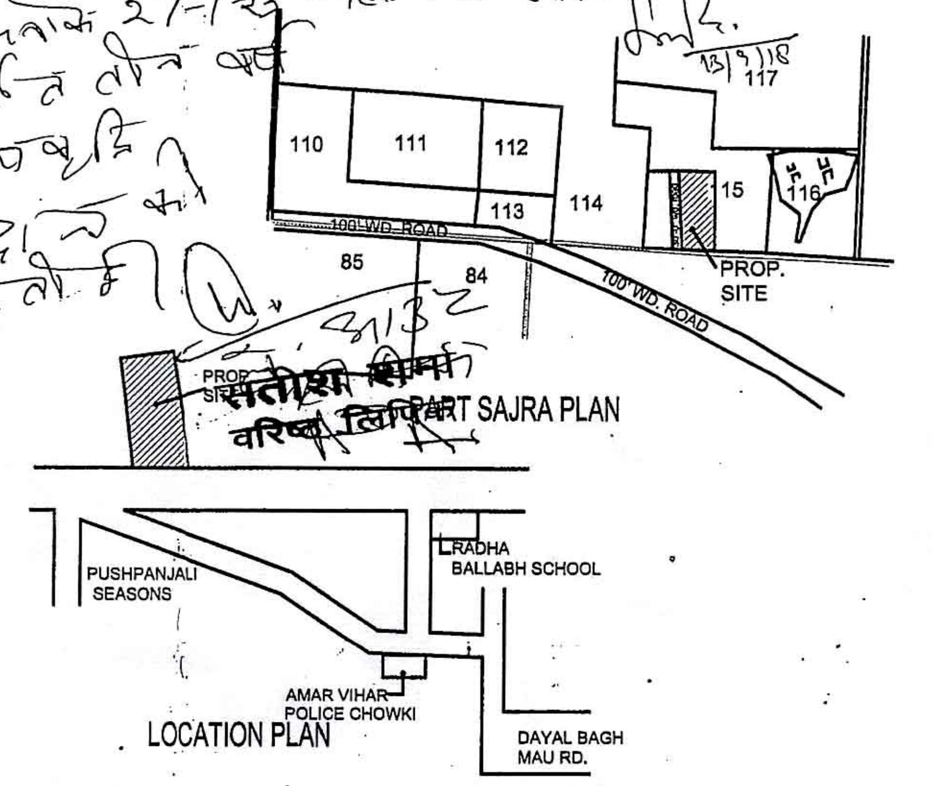

DENSITY CALCULATION

TOTAL NO. OF PLOTS = 18
NO.-OF UNIT PROPOSED ON EACH PLOT = 1
NO.-OF PERSON ON EACH UNIT = 5
TOTAL NO. OF PERSON ON 18 UNITS =90 PERSON

PLOTWISE AREA CHART

P.NO.	SIZE	AREA
1	6.545 x 16.26	106.42 SQ.M
2	6.475 x 16.26	105.28 SQ.M
3	16.76 x 8.085	135.50 SQ.M
4	16.76 x 7.75	129.89 SQ.M
5	7.90 x 16.715	132.04 SQ.M
6	7.43 x 20.16	149.78 SQ.M
7	7.43 x 19.915	147.96 SQ.M
8	7.76 x 13.78	106.93 SQ.M
9	16.76 x 6.96	116.64 SQ.M
10	16.76 x 7.01	117.48 SQ.M
11	16.76 x 7.01	117.48 SQ.M
12	16.76 x 6.83	114.47 SQ.M
13	7.255 x 13.84	100.40 SQ.M
14	7.62 x 19.67	149.88 SQ.M
15	7.62 x 18.57	141.50 SQ.M
16	6.895 x 15.27	105.28 SQ.M
17	16.76 x 7.71	129.21 SQ.M
18	16.76 x 7.595	127.29 SQ.M
	TOTAL	2233.43 SQ.M

MORTGAGE AREA CALCULATION

TOTAL AREA UNDER PLOTS= 2233.43 SQ.M
MORTGAGE AREA @20% OF PLOT AREA =446.68
PLOTS FOR MORTGAGE = PLOT NO.-6, PLOT NO.-7, PLOT NO.-14
TOTAL AREA OF PLOT NOS. 6,7 & 14 = 447.62 SQ.M

AREA STATEMENT-:

TOTAL LAND AREA	3000.00 SQ.M.	
LAND SOLD	240.00 SQ.M.	
REST LAND AREA	2760.00 SQ.M.	
AS PER SITE AREA	2759.54 SQ.M.	
AREA LEFT FOR ROAD WIDENING	32.12 SQ.M.	
NET PLOT AREA	2727.42 SQ.M.	100%.
AREA UNDER PLOTS	2233.43 SQ.M.	81.88%
AREA UNDER ROAD ANS SERVICES	493.99 SQ.M	18.12%

PROJECT-:
PROPOSED REVISED OF SUBDIVISION PLAN ON KHASRA N0- 115 PART , SITUATED AT MAUZA JAGANPUR, DAYALBAGH , AGRA

NORTH-: N

SCALE-: 1:200

OWNER'S-: MRS. NEELAM GUPTA
MRS. ANJALI GUPTA

OWNER'S SIGN-:

ARCHITECT'S -: INNOVATIVE DESIGN DESTINATION
ARCHITECTURE WITH SPIRIT....

ARCHITECT'S SIGN.
MUDIT SHARMA
CA/2007/40405
108, JAIPUR HOUSE MARKET, AGRA

आ वि प्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्याः–20180730182732430 दिनांकः– 26/2/21

पूर्णता प्रमाण–पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या–115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशासी अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0–20180730182732430 दिनांक 17.09.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तो का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यो के रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

26/2/21

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

परिशिष्ट –3

प्रपत्र–द

विन्यास मानचित्र के पूर्णता प्रमाण–पत्र हेतु आवेदन पत्र

(उपविधि संख्या–2.1.8)

आगरा विकास प्राधिकरण

भाग–अ

1. (i) आवेदक का नाम — NEELAM GUPTA & ANJALI GUPTA
   (ii) वर्तमान पता — GANDHI NAGAR
2. खसरा / भूखण्ड संख्या तथा योजना का नाम / मोहल्ला / वार्ड — KH.NO. 115 (PART), MAUJA JAGANPUR, AGRA ....
3. भूखण्ड का क्षेत्रफल (वर्ग मीटर में) — 2759.54 SQM.
4. अनुमन्य भू–उपयोग — RESIDENTIAL
   (i) विन्यास मानचित्र स्वीकृति की तिथि — 17/09/18
   (ii) परमिट संख्या — 20180730182732430
   (iii) यदि अनधिकृत विकास का शमन कराया गया हो तो शमन शुल्क जमा करने की रसीद संख्या व दिनाँक का विवरण देते हुए शमन मानचित्र की प्रति संलग्न करें — ....
   ....
5. **भू–उपयोग का विवरण :**

क्रमांक	भू–उपयोग की श्रेणी	स्वीकृत मानचित्र के अनुसार		विकसित		विचलन	
		क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत	क्षेत्रफल (व. मी.)	प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7	8
(i)	आवासीय	2233.43	81.88	2233.43	81.88		
(ii)	वाणिज्यिक	-					
(iii)	अन्य	-					
(iv)	पार्क एवं खुला स्थान	-					
(v)	सड़कें तथा गलियाँ	493.99	18.12	493.99	18.12		

आ वि प्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्याः–20180730182732430 दिनांकः– 26/2/21

पूर्णता प्रमाण–पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या–115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशासी अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0–20180730182732430 दिनांक 17.09.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तो का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यो के रख–रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

26/2/21

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

6. सुविधाओं की स्थिति :

क्रमांक	सुविधाएं	स्वीकृत मानचित्र में प्राविधान		पूर्णता मानचित्र में प्राविधान			
		संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	पूर्ण		अपूर्ण	
				संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)	संख्या	क्षेत्रफल (व.मी.)
(i)	प्राइमरी स्कूल	-					
(ii)	हायर सेकेण्डरी स्कूल	-					
(iii)	डिग्री कालेज	-					
(iv)	डिस्पेन्सरी	-					
(v)	अस्पताल	-					
(vi)	पोस्ट आफिस	-					
(vii)	कम्युनिटी सेन्टर	-					
(viii)	पुलिस स्टेशन	-					
(ix)	फायर स्टेशन	-					
(x)	टेलीफोन एक्सचेंज	-					
(xi)	बस स्टेशन	-					
(xii)	टैक्सी स्टैण्ड	-					
(xiii)	जन–सुविधाएं	-					
(xiv)	अन्य–सुविधाएं	-					

7. **निम्न विकास कार्य विन्यास मानचित्र पर अंकित करें :–**

(i) सड़कें

(ii) सड़क के किनारे वृक्षारोपण (आरबोरीकल्चर)

(iii) पुलिया (कल्वर्ट)

(iv) मार्ग प्रकाश व्यवस्था

(v) पेयजल वितरण प्रणाली जिसमें स्लूइस–वाल्व, एयर वाल्व, फायर हाईड्रेन्ट दर्शाए गए हों तथा भूमिगत जल नलिकाओं का व्यास अंकित हो।

(vi) ओवर हैड टैंक व भूमिगत जलाशयों की स्थिति एवं उनकी क्षमता, पम्पों की संख्या एवं उनकी क्षमता।

(vii) सीवर प्रणाली जिसमें पाइप का व्यास, इन्वर्ट लेबल देते हुए मेन होल, गली पिट्स की स्थिति ।

(viii) सीवेज, पम्पिंग स्टेशन की स्थिति, उसकी क्षमता तथा पम्पों की संख्या एंव क्षमता (यदि विकासकर्ता द्वारा उक्त विकास किया गया है)

(ix) बरसाती पानी के निकास की व्यवस्था।

(x) विद्युत आपूर्ति प्रणाली जिसमें ट्रान्सफार्मस तथा 11 के.वी.ए. सब–स्टेशन की स्थिति एवं ट्रान्सफार्मस की क्षमता अंकित हो।

(xi) सीवर का अन्तिम निस्तारण–विकास प्राधिकरण / आवास एवं विकास परिषद / स्थानीय निकाय आदि की ट्रंक सीवर लाईन में जोड़ने का विवरण।

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्याः—20180730182732430 दिनांकः— 26/2/21

पूर्णता प्रमाण—पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या—115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशासी अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0—20180730182732430 दिनांक 17.09.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम—1973 की धारा—15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण—पत्र निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है।

शर्तेः—

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तो का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद—विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यो के रख—रखाव की समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

26/2/21

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

(xii) ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम।

8. **शहर की अवस्थापना प्रणाली से संयोजन की स्थिति / व्यवस्था :–**

(i) सड़कें

(ii) पानी की निकासी (ट्रंक नाले से जोड़ने की व्यवस्था)

(iii) पेयजल की व्यवस्था (जल संस्थान / विकास प्राधिकरण / स्थानीय निकाय आदि से संयोजन की व्यवस्था)

(iv) विद्युत व्यवस्था (33 के.वी.ए. / 11 के.वी.ए. लाइन से संयोजन की स्थिति व ट्रांसफार्मर की स्थिति)

(v) सीवर / ट्रंक सीवर से संयोजन की स्थिति

9. **विन्यास मानचित्र में आन्तरिक परिवर्तन**

(i) उपविधि के अन्तर्गत है / नहीं है — हाँ / नहीं

(ii) यदि उपविधियों के विपरीत है तो उसका शमन हो चुका है। — हाँ / नहीं

अथवा

पुनरीक्षित मानचित्र स्वीकृत है। — हाँ / नहीं

(यदि हाँ तो प्रमाण पत्र संलग्न करें)

10. **विकास कार्यो के मानकों एवं विशिष्टियों के सम्बन्ध में सूचना :–**

विन्यास मानचित्र के साथ स्वीकृत विकास कार्यो के मानक एवं विशिष्टियों में कोई विचलन नहीं हुआ है।

अथवा

विकास कार्यो के मानक एवं विशिष्टियों में विचलन है जिसका अनुमोदन सम्बन्धित विभाग से प्राप्त किया जा चुका है (प्रमाण पत्र संलग्न हैं) अब कोई ऐसा विचलन नहीं है जो सक्षम प्राधिकारी से स्वीकृत न हो।

आवेदक का प्रमाण–पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त विवरण मेरी / हमारी व्यक्तिगत जानकारी के अनुसार सत्य है। विन्यास मानचित्र में भू–उपयोग वितरण प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र कें अनुसार है। सभी सुविधाएं एवं विकास कार्य अनुबन्ध के अनुसार हैं। अतः मुझे / हमें उपरोक्त वर्णित ले–आउट प्लान का पूर्णता प्रमाण–पत्र जारी किया जाए।

संलग्नक अभिलेख :–

1.

2.

3.

दिनांक : 04/02/2021

आवेदन हेतु अधिकृत आवेदक के हस्ताक्षर

नोट : उक्त सूचना केवल आवदेन के लिए अधिकृत व्यक्ति के द्वारा ही दी जाएगी। अधिकृत होने का प्रमाण पत्र संलग्न किया जाएगा।

आविप्रा

आगरा विकास प्राधिकरण, आगरा

पत्रांक संख्याः–20180730182732430 दिनांकः– 26/2/21

पूर्णता प्रमाण–पत्र

हरीपर्वत वार्ड में स्थित खसरा संख्या–115, मौजा जगनपुर, आगरा पर निर्मित उपविभाजन मानचित्र के सम्बन्ध में पूर्णता प्रमाण पत्र हेतु प्रस्तुत आवेदन पत्र के (भाग अ, ब, स) का परीक्षण व स्थल निरीक्षण अधोहस्ताक्षरी/अधिशासी अभियन्ता/नगर नियोजक/अवर अभियन्ता द्वारा कर लिया गया है। विकास कार्य प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र सं0–20180730182732430 दिनांक 17.09.2018 के अनुरूप सही पाया गया है। अतः उपाध्यक्ष महोदय के आदेश दिनांक 29.01.2021 के क्रम में उ0प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम–1973 की धारा–15क(2) के अनुसार पूर्णता प्रमाण–पत्र निम्न शर्तो के अधीन जारी किया जाता है।

शर्तेः–

1. विभिन्न विभागों से प्राप्त अनापत्ति प्रमाण पत्रों में अंकित समस्त शर्तो का पालन करना होगा।
2. स्वामित्व के सम्बन्ध में किसी भी प्रकार के वाद–विवाद की स्थिति में समस्त जिम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
3. योजना के अन्दर प्राविधानित समस्त सुविधाओं पर किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं किया जायेगा।
4. नगर निगम को सुविधाएं संचालित अवस्था में हस्तान्तरित करनी होगी। हस्तान्तरण से पूर्व सभी आन्तरिक विकास कार्यो के रख–रखाव की समस्त ज़िम्मेदारी विकासकर्ता की होगी।
5. उपरोक्त किसी भी शर्त का उल्लंघन होने पर निर्गत पूर्णता प्रमाण पत्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

26/2/21

मुख्य नगर नियोजक
आगरा विकास प्राधिकरण,
आगरा।

भाग–ब

पंजीकृत वास्तुविद् / नगर नियोजक का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)

मैंने श्री / श्रीमती NEELAM GUPTA & ANJALI GUPTA(आवेदक का नाम) का. HARIPARWAT. वार्ड स्थित क्षेत्र / योजना KH.NO. 115(PART), MAUJA JAGANPUR, AGRA का निरीक्षण दिनांक . 01/02/2021. . को किया तथा उपरोक्त दी गई समस्त सूचनाएं स्थल जाँच के उपरान्त सही पाई गई हैं। इस संदर्भ में मेरी जाँच आख्या निम्नवत् है :–

विकास के सभी कार्य आगरा विकास प्राधिकरण द्वारा पूर्व निर्धारित एवं स्वीकृत मानकों एवं विशिष्टियों के अनुरूप हैं।

अथवा

विकसित योजना, विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / लागू उपविधियों के अनुरूप है।

अथवा

विकसित योजना में स्वीकृत विन्यास मानचित्र से विचलन है जो क्रमांक–9 पर अंकित कर दिया गया है तथा शमन योग्य विचलन का शमन कराया जा चुका है।

उक्त स्थिति में पूर्णता प्रमाण पत्र निर्गत करने की संस्तुति की जाती है।

हस्ताक्षर :

पंजीकृत वास्तुविद् / नगर नियोजक

नाम / पता . . . .

लाइसेन्स संख्या . . . .

दिनांक . . 04/02/2021 . . . लाइसेन्स वैधता की अवधि . . . . .

भाग–स

रेनवाटर हार्वेस्टिंग के सम्बन्ध में पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति का प्रमाण पत्र
(विन्यास मानचित्र हेतु)

विकसित योजना में रेनवाटर हार्वेस्टिंग (ग्राउण्ड वाटर रिचार्जिंग सिस्टम) का प्राविधान विकास प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत विन्यास मानचित्र / लागू उपविधियों के अनुरूप है।

हस्ताक्षर :

पंजीकृत अनुज्ञापित व्यक्ति

नाम / पता . . . .

लाइसेन्स संख्या . . . .

दिनांक . . 04/02/2021 . लाइसेन्स वैधता की अवधि . . . .